SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF J.M.F.C., Gohad, DIST Bhind (M.P)
Case No3.5.4.//) Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant
3110 30 3118
Name , parentage, caste and address of accused
D 21716 510 BIZTHE 0321918 34014
RIO ale ore siret
0,00 20,000
로마 (1965년 - 1965년 1972년) 1일 전 1일 전 1일
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप है कि दिनांक 8-12-17 मुकाम 70 रोट 2018 1
वल होड शहर
में आम रोड पर हार्य करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे
जो कि धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।
क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो
C as nya
The plea of the accused and his examination (if any)
Calare
AV.

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक हो घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध धारा अप(३) पुलिस अधिनियम के तहत समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया। 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। 03. अभियुक्त को धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत रूपये अध्दिण्ड ने पटाये जाने पर अभ्युक्त को साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।

जप्तषुदा सम्पत्ति कुछ नहीं ।

04.

मेरे निर्देशन पर टंकित

